

पत्रांक/3033/आयु०कर उत्तरा०/विधि—अनु०/पत्रा०—२९ / १६—१७/देहरादून।
कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि—अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून :: ४ अगस्त, 2016

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य०/प्रव०), वाणिज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/हल्द्वानी/रुद्रपुर सम्भाग।

मुख्यालय के पत्रांक 2731 दिनांक 23.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ऑनलाइन लौरी चालान नहीं बनवाए जाने पर आगामी 15 दिनों तक किसी भी वाहन/ट्रांसपोर्ट के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं किए जाने सहित यदि किसी ट्रांसपोर्ट/परिवहनकर्ता द्वारा ऑनलाइन लौरी चालान नहीं बनाया गया है तो ऑनलाइन लौरी चालान बनवाने में उसकी सहायता करते हुए उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त क्रम में संदर्भित अवधि समाप्त होने के आलोक में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त सचल दल इकाईयों/कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित करें कि आगामी 15 दिन तक ऑनलाइन लौरी चालान नहीं बनवाये जाने पर किसी भी वाहन/ट्रांसपोर्ट के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाए तथा यदि किसी ट्रांसपोर्ट/परिवहनकर्ता द्वारा ऑनलाइन लौरी चालान नहीं बनाया गया है तो ऑनलाइन लौरी चालान बनवाने में उनकी सहायता करना सुनिश्चित करते हुए उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न की जाए।

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।